न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायज जिला बीकानेर

इजलास :– श्री अभिषेक सुराणा आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)

राजस्व वाद सं. 96/2018

अनवान :–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत

....................वादी

बनाम

1. अशाक कमार सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी निवारी बीकानेर
2. संतोष कुमार पुत्र जेठाराम माली निवारी बीकानेर

.............प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाशकगण :–

1. पेरोकारराज वादी राज्य के लिये।
2. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण के लिए

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27.02.2020

27.02.2020 विचाराधीन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोलायत ने एक आवेदन पत्र अशोक कुमार आदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि

1. यह है कि रोही ग्राम शिव सुथारान के खसरा नम्बर 19 रकबा 6.33 हैक्टर प्रतिवादीगण श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण, संतोष कुमार पुत्र जेठाराम जाति माली निवासी बीकानेर की खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के है।
2. यह है कि पटवारी हल्का चानी एवं भू.अभिलेख कोलायत से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ख.न. 19 में अवेध खनन कार्य बिना सक्षम स्वीकृत के किया गया है। रिपोर्ट पटवारी व नजरी नक्शा सलंग्न है। कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एवंम भू–विज्ञान बीकानेर का पत्रांक 79 दिनांक 05.04.2018 सलंग्न है।
3. यह है कि प्रतिवादीगण के द्वारा स्थापति किये गये अवैध खनन के कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिये हुआ है, जिससे उक्त ख. न. 19 के मूल स्वरूप परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत् वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर काश्तकारी अधिनियम रिज्यूम किये जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावें।
5. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम शिव सुथारान के खसरा नम्बर 19 रकबा 0.75 हैक्टर में बिना सक्षम अधिकारी स्वीकृति के अवैध खनन कर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण इस वाद पत्र को स्वीकार किया जावें। उकत खसरा नम्बर 19 कह कुल तादादी 0.75 हैक्टर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए अप्रार्थी को बेदखल करने के आदेश के साथ खातेदारी अधिकारी समाप्त किये जाने हेतु निवेदन है।

नोटिश जारी किया गया। नोटिश तामील हुवा। प्रतिवादी बावजुद तामील के अनुपस्थित रहे। लगातार दिनांक 19.04.2018 से पत्रावली जवाब में जैरकार रही। प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 19.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। एकतरफा बहस समायत की गयी।

परिणामस्वरूप दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है :

1. कि तहसील कोलायत के ग्राम चक यानी के खसरा नम्बर 19 रकबा 0.75 हैक्टर जो राजस्व विभाग की जमाबन्दी संवत 2071 में अंकित है, का आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, तथा इसमें प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाता है।
2. कि विवादित भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है।
3. कि विवादित भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावें।

आदेशानुसार पत्रों डिक्री मुरत्तब किया जावें। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार कोलायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिषेक सुराणा)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

116
6/3/2024

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(अभिषेक सुराणा)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

Scanned by CamScanner